रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2—जनवरी 8, 2010 (पौष 12, 1931)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2—JANUARY 8, 2010 (PAUSA 12, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

सं. गैबैंपवि 211/मुमप्र (एएनराव)-2009--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ञ, 45-ञक, 45-ट तथा 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 192/डीजी (वीएल)-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नवत अधिसूचित करता है अर्थात् :--

पैराग्राफ 16 के स्पष्टीकरण (1) की टिप्पणी (v) (घ) के अंतर्गत उपखंड (3) के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

"(4) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के प्रति गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के (संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता) प्रतिभूतियों में किए गए वित्तीय लेनदेनों के कारण जो जोखिम प्रतिपक्षी क्रेडिट रिस्क के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन पर जोखिम भार शून्य होगा क्योंकि इनके बाबत यह माना जाता है कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के प्रति प्रतिपक्ष से हुए जोखिम दैनिक आधार पर पूर्णत: संपार्श्विक प्रतिभूति से आवरित होते हैं जो केन्द्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (सीसीपीएस) के क्रेडिट रिस्क को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास रखी जमाराशियों/संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा"।

ए. नारायण राव
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. गैबैंपवि 212/मुमप्र (एएनराव)-2009--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ञ, 45-ञक, 45-ट तथा 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 193/डीजी (वीएल)-2007

में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नवत अधिसूचित करता है अर्थात् :--

पैराग्राफ 16 के स्पष्टीकरण (1) की टिप्पणी (v) (घ) के अंतर्गत उपखंड (3) के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

''(4) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के प्रति गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के (संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता) प्रतिभूतियों में किए गए वित्तीय लेनदेनों के कारण जो जोखिम प्रतिपक्षी क्रेडिट रिस्क के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन पर जोखिम भार शून्य होगा क्योंकि इनके बाबत यह माना जाता है कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के प्रति प्रतिपक्ष से हुए जोखिम दैनिक आधार पर पूर्णत: संपार्श्विक प्रतिभूति से आवरित होते हैं जो केन्द्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (सीसीपीएस) के क्रेडिट रिस्क को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास रखी जमाराशियों/संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा''।

ए. नारायण राव
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 2009

क्र. सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/1176 दिनांक 10.12.2009--भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (23 का 1955) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमावली में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए हैं :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियमावली 2005 कहा जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमावली के नियम 19 के उप-नियम (1) में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा : नियम 19 (1) निम्नानुसार संशोधित :

इन नियमों के अंतर्गत पेंशन का पात्र कोई बैंक अधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख से अन्य बैंक में किसी समय रोज़गार या किसी अन्य वाणिज्यिक संस्था में एक वर्ष के अंदर रोज़गार स्वीकार करना चाहता है तो उसे केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रस्तावों पर कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करेगा। असाधारण परिस्थितियों में यदि प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हो या यदि अनुमति प्रदान करने से इंकार करने का प्रस्ताव किया गया है तो उस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि अधिकारी इस नियम के अंतर्गत अपेक्षित संस्वीकृति के बिना ऐसा रोज़गार स्वीकार करता है तो ट्रस्टियों के लिए उचित होगा कि वे अपने विवेकानुसार या तो उसे देय संपूर्ण या आंशिक पेंशन समाप्त कर दें।

परन्तु यदि ऐसा कोई अधिकारी जिसे कार्यकारिणी समिति द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश के दौरान किसी वाणिज्यिक संस्था में कतिपय प्रकार का रोज़गार स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई है उसे सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसा रोज़गार जारी रखने के लिए बाद में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

1. केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमावली के नियम 19(1) में आवश्यक संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श किया गया है। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमावली में संशोधन किया गया है।

पाद टिप्पणी :

उपर्युक्त नियमों में किए गए संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा राजपत्र के लिए जारी किए गए हैं :--

अधिसूचना क्र.	प्रकाशन की तारीख
सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/828	09.09.2009

ह./- अपठनीय
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 1st December 2009

No. DNBS 211/CGM (ANR)-2009—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 and of all the powers enabling it in this behalf, and in partial modification of its Notification No. DNBS 192 dated DG (VL)-2007 dated February 22, 2007, the Reserve Bank hereby notifies as follows, namely—

In the Notes under (v) (d) of Explanations (1) of paragraph 16, the following shall be added after sub clause (3) :

"(4) The Counterparty Credit Risk, arising out of exposure of NBFCs to CCIL on account of Securities Financing Transactions (CBLOs) will carry a risk weight of zero, as it is presumed that the CCP's exposures to their counterparties are fully collateralised on a daily basis, thereby providing protection for the CCP's Credit Risk Exposures. The Deposits/Collaterals kept by NBFCs with CCIL will attract a risk weight of 20%".

A. NARAYANA RAO
Chief General Manager-in-Charge

No. DNBS 212/CGM (ANR)-2009—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 and of all the powers enabling it in this behalf, and in partial modification of its Notification No. DNBS 193 dated DG (VL)-2007 dated February 22, 2007, the Reserve Bank hereby notifies as follows, namely—

In the Notes under (v) (d) of Explanations (1) of Paragraph 16, the following shall be added after sub clause (3) :

"(4) The Counterparty Credit Risk, arising out of exposure of NBFCs to CCIL on account of Securities Financing Transactions (CBLOs) will carry a risk weight of zero, as it is presumed that the CCP's exposures to their counterparties are fully collateralised on a daily basis, thereby providing protection for the CCP's Credit Risk Exposures. The Deposits/Collaterals kept by NBFCs with CCIL will attract a risk weight of 20%".

A. NARAYANA RAO
Chief General Manager-in-Charge

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 2009

No. CDO/PM/16/SPL/1176 dated 10.12.2009—In exercise of the powers conferred by Section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following rules to amend further the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

The rules may be called the State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Rules, 2005.

To sub-rule (1) of Rule 19 of the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules the following shall be amended.

Rule 19 (1) as amended below :

If an Officer of the Bank who is entitled to pension under these rules wishes to accept employment in any other Bank at any time or any other Commercial Employment within one year from the date of retirement, he should obtain the previous sanction of the Competent Authority designated by the Executive Committee of the Central Board from time to time. The Competent Authority shall consider such proposals in accordance with the guidelines, laid down from time to time by the Executive Committee. In exceptional circumstances, where the proposal does not confirm to the guidelines laid down by the Executive Committee or the permission is proposed to be declined, it shall be considered by the Executive Committee. Should the Officer undertake such employment without the sanction required under this rule it shall be competent for the trustees to withdraw the pension payable to him either in whole or in part at their discretion.

Provided that an Officer permitted by the Executive Committee to take up a particular form of Commercial Employment during his leave preparatory to retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to make necessary amendment in Rule 19 (1) of SBI Employees' Pension Fund Rules. The matter has been consulted with the Reserve Bank of India. Accordingly, the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules are amended.

Foot Note :

The amendments carried out earlier in the above Rules were Gazetted vide Notification Nos. as given below :—

Notification No.	Date of Publication
1. CDO/PM/16/SPL/828	09.09.2009

Sd./- ILLEGIBLE
Chief General Manager (HR)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010